



# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

फोन: 0291 -5153702  
0291 -5153704

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, करवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau\_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक:- रा.आ.वि./एके/एफ-2/(BOM)/(01)/V/06-07/ 7957-7975

दिनांक: 16/01/2021

1. प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार, अध्यक्ष एवं कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. महेश दीक्षित, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय एवं प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
3. प्रो. मोहम्मद शोएब आजमी, अधिष्ठाता, यूनानी संकाय एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
4. प्रो. योगेश्वरी गुप्ता, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
5. प्रो. अंकेश सिंह, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
6. डॉ. विमल कुमार कावत, सदस्य, 327/7, उदय मार्ग, तिलक नगर, जयपुर
7. शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
8. डॉ. राजेश शर्मा (U.A.S.) सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
9. श्रीमति सीमा शर्मा (R.A.S.) निदेशक, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
10. प्रो. संजीव शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
11. डॉ. राजेश कुमार शर्मा, एसोसियेट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर क्रिया शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
12. प्रो. महेन्द्र सिंह मीना, पूर्व निदेशक, एन.आई.ए., जयपुर (56-A जनकपुरी प्रथम, इमली फाटक, जयपुर)
13. डॉ. अशोक शर्मा, 58-बजाज नगर एनकलेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर-302015
14. डॉ. इन्दुमती शर्मा, एसो.प्रोफेसर, कायचिकित्सा विभाग, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
15. डॉ. मनोज नेसारी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
16. डॉ. राजकुमार शर्मा, एम.एल.ए., नवलगढ़
17. श्री दीपचन्द खेरिया, एम.एल.ए., अलवर
18. कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विषय :- डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की प्रबन्ध बोर्ड का 24वां उपवेशन दिनांक 15.01.2021 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की प्रबन्ध बोर्ड का 24वां उपवेशन, जो दिनांक 15 जनवरी 2021 को प्रातः 11.30 बजे कोविड-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा ऑन-लाईन विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड से आयोजित किया गया था, में लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपर्युक्त कार्यवाही विवरण।

भवदीय

कुलसचिव

BOM - 01

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्  
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रबन्ध बोर्ड का 24वां उपवेशन

**15 जनवरी 2021**

कार्यवाही विवरण



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर  
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर





# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

फोन: 0291 -2795302  
0291 -2795304

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau\_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक:- रा.आ.वि./एके/एफ-2/(BOM)/(01)/V/06-07/

दिनांक:

## कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड का 24वां उपवेशन, जो दिनांक 15 जनवरी 2021 को प्रातः 11.30 बजे कोविड-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा ऑन-लाईन माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित हुए-

1. प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार, अध्यक्ष एवं कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. महेश दीक्षित, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय एवं प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
3. प्रो. मोहम्मद शोएब आजमी, अधिष्ठाता, यूनानी संकाय एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
4. प्रो. योगेश्वरी गुप्ता, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
5. प्रो. अंकेश सिंह, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
6. डॉ. विमल कुमार कावत, सदस्य, 327/7, उदय मार्ग, तिलक नगर, जयपुर
7. शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर  
(प्रतिनिधि:- डॉ. मनोहरसिंह राटौड़, अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर)
8. श्रीमति सीमा शर्मा (R.A.S.), निदेशक, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर  
(प्रतिनिधि:- डॉ. मनोहरसिंह राटौड़, अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर)
9. डॉ. राजेश कुमार शर्मा, एसोसियेट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर क्रिया शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
10. प्रो. महेन्द्र सिंह मीना, पूर्व निदेशक, एन.आई.ए., जयपुर (56-A जनकपुरी प्रथम, इमली फाटक, जयपुर)
11. डॉ. इन्दुमती शर्मा, एसो.प्रोफेसर, कायचिकित्सा विभाग, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
12. डॉ. मनोज नेसारी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
13. कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर  
उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुए जिनकी अनुपस्थिति पर सहमति प्रदान की गई।
  1. डॉ. राजेश शर्मा (I.A.S.), सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
  2. प्रो. संजीव शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
  3. डॉ. अशोक शर्मा, 58-बजाज नगर एनकलेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर-302015
  4. डॉ. राजकुमार शर्मा, एम.एल.ए., नवलगढ़
  5. श्री दीपचन्द खेरिया, एम.एल.ए., अलवर

1



सर्वप्रथम प्रबन्ध बोर्ड के दिनांक 15 जनवरी 2021 को आयोजित उपवेशन में उपस्थित सदस्य महानुभावों का माननीय कुलपति महोदय एवं कुलसचिव द्वारा स्वागतोपरान्त एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
1.	प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 11.12.2019 के कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना का अनुमोदन।	एजेण्डा संख्या 01 से 10 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। अनुपूरक एजेण्डा संख्या-11 के एजेण्डा संख्या 01 व 02 में समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। परन्तु सदन के माननीय सदस्यों द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि विश्वविद्यालय के किसी भी समिति का गठन किया जाता है तो गठित समिति सदस्यों को उस कार्य को पूर्ण करने हेतु उसमें अंकित निर्धारित समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की पालना सुनिश्चित करावें।
2.	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 12.01.2021 की कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
3.	वित्त एवं लेखा समिति की बैठक दिनांक 08.01.2021 में की गई कार्यवाही विवरण पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
4.	सत्र 2019-20 में नकल सम्बन्धित (Unfairmeans Case) प्रकरणों में कमेटी द्वारा लिए गये निर्णय के अनुमोदन पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
5.	विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2002 की धारा-12-(2)(ट)- सम्बन्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सहयोजित एक प्राचार्य; के प्रावधानानुसार प्रबन्ध मण्डल हेतु एक सदस्य के सहयोजन पर विचार।	डॉ. ऋतुराज शर्मा, प्राचार्य, शेखावटी आयुर्वेद महाविद्यालय, पिलानी का नाम सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
6.	विश्वविद्यालय में संविदा सेवा पर कार्यरत कार्मिकों की सेवा अवधि वृद्धि बाबत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।



क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
7.	विश्वविद्यालय के संघटक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर में कार्यरत शैक्षणिक अधिकारियों के सेवानियमों में संशोधन हेतु गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।	इस हेतु विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समिति की रिपोर्ट में ANNEXURE-3 Option C- Amendment in Rajasthan Ayurved University Service Rules published on 21 Feb 2019 including Central Council of Indian Medicine Rules for Direct Recruitment/Promotion में वर्णित प्रोफेसर, एसो. प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु निर्धारित योग्यताओं के अनुसार राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय सेवा (संशोधित) नियम 2019 में निर्णयानुसार संशोधन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
8.	विश्वविद्यालय के संघटक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी, टोंक के शैक्षणिक अधिकारियों हेतु बनाये गये सेवानियम पर विचार-विमर्श तथा इसी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के, अशैक्षणिक, संघटक महाविद्यालय में कार्यरत मेडिकल एवं पैरामेडिकल के पद, जो कि राज्य सरकार से स्वीकृत है जिनमें से कुछ पदों के सेवानियम नहीं है उनका प्रस्ताव तथा शेष पदों के सेवानियमों में संशोधन हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।	इस हेतु गठित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसे परीक्षण हेतु एक अन्य समिति के समक्ष भिजवाया जा चुका है परन्तु इस समिति द्वारा परीक्षण कार्य बाबत समयावधि वृद्धि हेतु निवेदन किया गया है। समिति को इस कार्य को पूर्ण करने बाबत 15 दिवस का अतिरिक्त समय दिया गया एवं समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
9.	विश्वविद्यालय के सेवानियमों में सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान के पत्रांक: एफ. 1(4)(18)आरबी/2018/9376 दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के आदेशानुसार संशोधन कराने पर विचार-विमर्श।	राजभवन द्वारा जारी उक्त निर्देशों की अनुपालना में अशैक्षणिक पदों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समकक्ष पदों हेतु तय निर्धारित योग्यतायें तुरन्त प्रभाव से अंगीकृत करने हेतु राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, सेवानियम-2009 में संशोधन की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार किया जाए तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों/पत्रों/आदेशों/परिपत्रों के अनुसार





क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
		राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, सेवानियम-2009 में संशोधन की कार्यवाही किये जाने एवं माननीय कुलाधिपति महोदय को प्रस्ताव/संशोधन प्रेषित किए जाने बाबत माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
10.	विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक पदों हेतु पूर्व में दिनांक 22 जुलाई 2019 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल में विभागीय पदोन्नति हेतु गठित समिति में परिवर्तन करने हेतु विचार-विमर्श।	विचार-विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अशैक्षणिक पदों की विभागीय पदोन्नति हेतु दिनांक 22 जुलाई 2019 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक में बिन्दु संख्या 13 अनुसार गठित समिति में आंशिक संशोधन कर 04 (चार) सदस्यों के स्थान पर निम्न 03 (तीन) सदस्यों की समिति निम्नानुसार होगी:- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कुलसचिव- चेयरमेन</li> <li>2. कुलाधिपति द्वारा मनोनित प्रबन्ध मण्डल का एक सदस्य</li> <li>3. राज्य सरकार द्वारा मनोनित प्रबन्ध मण्डल का सदस्य</li> </ol> अशैक्षणिक पदों हेतु गठित उक्त पदोन्नति समिति का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
11.	विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित अशैक्षणिक कर्मचारियों को पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलन एवं विभागीय पदोन्नति हेतु विचार-विमर्श।	विचार-विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि एजेण्डा संख्या- 09 के अनुसार ही इस पर कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
12.	अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। 1. संवेदक के माध्यम से कार्यरत कर्मिकों द्वारा उचित मानदेय निर्धारण हेतु दिए गए पत्र के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।	1. इस हेतु विचार-विमर्श करने के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संवेदक के माध्यम से कार्यरत इन कर्मिकों को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रबन्ध बोर्ड की 32 बैठक दिनांक 06 अगस्त, 2019 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ही न्यूनतम मजदूरी राशि 400/- (अक्षरे चार सौ रुपये मात्र) प्रति दिवस निर्धारित कर दी जाये।





क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
	<p>2. प्रबन्ध बोर्ड / चयन समिति/विद्या परिषद्/अध्ययन बोर्ड/रिसर्च बोर्ड के माननीय सदस्यों हेतु बैठक भत्ता निर्धारित करने हेतु विचार-विमर्श।</p> <p>3. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने हेतु निर्धारित अवधि दिनांक 31 दिसम्बर 2020 से बढ़ाकर दिनांक 31 जनवरी 2021 करने हेतु पुष्टि के सम्बन्ध में तथा इस हेतु समयावधि दिनांक 28.02.2021 तक बढ़ाने बाबत।</p> <p>4. डॉ. राजकुमार शर्मा, माननीय विधायक, नवलगढ़ द्वारा प्रेषित पत्र ए-3751 दिनांक 30.12.2020 के सम्बन्ध में निर्णय हेतु विचार-विमर्श।</p> <p>5. विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर में कार्यरत 05 एसो.प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रोफेसर पद पर पदोन्नति हेतु प्रेषित पत्र पर विचार-विमर्श।</p>	<p>2. इस हेतु विचार-विमर्श करने के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रबन्ध बोर्ड की 32 बैठक दिनांक 06 अगस्त, 2019 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ही प्रबन्ध बोर्ड/ चयन समिति के माननीय सदस्यों को राशि रु. 5000/-, विद्या परिषद् सदस्यों को राशि रु.2000/- एवं अध्ययन बोर्ड तथा अनुसंधान (रिसर्च) बोर्ड के सदस्यों को राशि रु.1000/- बैठक भत्ता प्रदान किया जाये।</p> <p>3. विचार-विमर्श उपरान्त पूर्व में अवधि 31 जनवरी 2021 तक समयवधि वृद्धि करने की पुष्टि की गई तथा साथ ही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक 26(1)शिक्षा-4/2015 दिनांक 28.12.20 के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता एवं संबंधित निर्धारित शुल्क जमा करवाने हेतु समयावधि दिनांक 28.02.21 तक समयावधि वृद्धि करने का अनुमोदन किया गया।</p> <p>4. इस संबंध में विचार-विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि डॉ. राजकुमार शर्मा, माननीय विधायक, नवलगढ़ एवं माननीय सदस्य प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अपने अपने पत्र में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार ही विद्या परिषद् के माननीय सदस्य डॉ. राजेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत पत्र में समान प्रकृति के बिन्दु अंकित होने के कारण विश्वविद्यालय के दिनांक 12.01.2021 को आयोजित विद्या-परिषद् उपवेशन में इससे सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा उपरान्त कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।</p> <p>5. इस हेतु विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 12.01.2021 के निर्णयानुसार कार्यवाही करने का अनुमोदन किया गया।</p>



क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
	<p>6. होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य डॉ. विमल कांवट के माध्यम से डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर का नाम में परिवर्तन कर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुष विश्वविद्यालय, जोधपुर करने हेतु प्राप्त पत्र पर विचार-विमर्श।</p>	<p>6. इस पर विचार-विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर का नाम डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुष विश्वविद्यालय, जोधपुर परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने एवं अन्य कार्यवाही बाबत माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।</p>

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ।

उक्त कार्यवाही विवरण अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया (पृष्ठ संख्या 02 से 08 तक)।

  
सदस्य सचिव